Dudu

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अ...

232/2020/ 225 RAA. रायमल रूप / अमरचन्द

तारीख	2020/ 00 25 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री दीपक पारीक Adv. श्री
16/12/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रुक-रुक कर आवाजे दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए, अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा दाखिल रिकार्ड से रूप हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अपील टी.ए. संख्या 232/2020 जिला जयपुर

रामस्वरूप पुत्र श्री मोतीलाल, जाति अहीर,निवासी रामपुरा बाड़िया, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान।

.......अपीलांट

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र श्री मोतीलाल
2. कन्हैयालाल पुत्र श्री मोतीलाल
3. गेन्दी पुत्री लक्ष्मीनारायण
4. छगनलाल पुत्र श्री गंगाराम
5. धन्नालाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
6. नर्बदा देवी पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण
7. प्रभुदयाल पुत्र श्री मोतीलाल
8. रामकुंवार पुत्र श्री मोतीलाल
9. श्रवणलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
10. सुन्दर देवी पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण
11. हनुमान पुत्र श्री गंगाराम

    समस्त जाति अहीर, निवासीगण ग्राम रामपुरा बाड़िया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज.।

12. रविन्द्र यादव पुत्र श्री रामदेव
13. चेनसुख पुत्र श्री रामदेव
14. संतोष पत्नि श्री रविन्द्र
15. कमला पत्नि श्री चैनसुख
16. शशांक पुत्र श्री चेनसुख
17. रोहित पुत्र श्री चैनसुख

लगातार....2

Scanned with CamScanner

18. मोहत पुत्र श्री चैनसुख समस्त जाति अहीर निवासी B-284,285 महेशनगर टोंक रोड जयपुर

19. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

.......रेस्पोडेन्ट्स

20. बजरंगलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति अहीर, निवासी रामपुरा बाड़िया, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान।

.....प्रफोर्मा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) महोदय, दूदू दिनांक 23.09.2020 उनवानी रामस्वरूप व अन्य बनाम अमरचंद व अन्य

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी अपीलांट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 की आराजी खाता संख्या 132 के आराजी खसरा संख्या 224 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 223 रकबा 0. 6600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 224/1016 जो वाकै ग्राम रामपुरा उर्फ बाड़िया, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है, जिसके अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी/अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण खातेदार है जो अविभाजित है। सभी पक्षकार संयुक्त रूप से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है जिसमें वादी/अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स ने मकानात बना रखे है एवं ढाणीनुमा जगह पर

लगातार....3

Scanned with CamScanner